सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025/715 दर्ज तिथिः—07.10.2025

1. ठाकराराम पुत्र धूड़ाराम
2. भूराराम पुत्र धूड़ाराम
   जाति विश्नोई निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी।

............प्रार्थीगण

बनाम

1. खेतु पत्नी ताजाराम
2. ओमा पुत्र गिरधारी
3. गोरखा पुत्र गिरधारी
4. जस्सी पुत्री तगाराम
5. भीमा पुत्र गिरधारी
6. रम्भा पत्नी गिरधारी
7. वाला पुत्र गिरधारी
   जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी बेरीगांव तससील गुड़ामालानी।
8. रूपोदेवी पत्नी बाबूलाल जाति विश्नोई निवासी मेगावा तहसील सांचौर जिला जालौर।
9. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा गुड़ामालानी।
10. शाखा प्रबंधक TAGB शाखा धोरीमना
11. शाखा प्रबंधक शाखा आरएमजीबी शाखा गुड़ामालानी
12. तहसीलदार गुड़ामालानी।

..............अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः—श्री ठाकराराम चौधरी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—27.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:34 IST
Reason: SelfAttested

- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 194/3 रकबा 3.5369 है0 मौजा बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है।
- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 194/2 रकबा 1.3193 है0 मौजा बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी है।
- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 194/4 रकबा 0.3318 है0 मौजा बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी विप्रार्थी संख्या 02 से 07 की खातेदारी आराजी है।
- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 194/1 रकबा 2.6385 है0 मौजा बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी विप्रार्थी संख्या 08 की खातेदारी आराजी है।
- कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खसरे मूल खसरा संख्या 194 से विभक्त होकर बने है। नामान्तरण के विभक्त खसरों संख्या 194/1, 194/2, 194/3, 194/4 का रकबा तो सही दर्ज किया गया लेकिन लट्ठा ट्रेस मौके व कब्जे से भिन्न कर दिया गया। उक्त खसरों का लट्ठा ट्रेस परिशिष्ट 'बी' के अनुसार किया जाना था लेकिन राजस्व कार्मिकों द्वारा उक्त खसरों का लट्ठा ट्रेस परिशिष्ट 'अ' के अनुसार मौके व कब्जे से भिन्न कर दिया। जिससे मौके व राजस्व रिकॉर्ड में भिन्नता उत्पन्न हो गई।
- कि विभाजन के बाद मुताबिक निर्णय व डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज सही किया गया। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा विभक्त खसरों की तरमीम लट्ठा ट्रैस में गलत अंकित कर दी। प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के खसरा संख्या 747/138 की तरमीम कब्जे व रिकॉर्ड से करीबन 15 बीघा कम कर निर्णय डिक्री से भिन्न एवं अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 के रकबे की तरमीम कब्जे व रिकॉर्ड से करीबन 15 बीघा ज्यादा कर दी गई। जिससे मौके व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई। जिसे प्रार्थीगण ने परिशिष्ट 'बी' के अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधे बहस का निवेदन किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

3. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/2020 दिनांक 31.01.2026 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–बी के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान की गई।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–बी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–बी का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:34 IST
Reason: SelfAttested

ठाकराराम बनाम खेतु
2025/715
निर्णय दिनांकः–27.03.2026

हाल राजस्व रिकॉर्ड

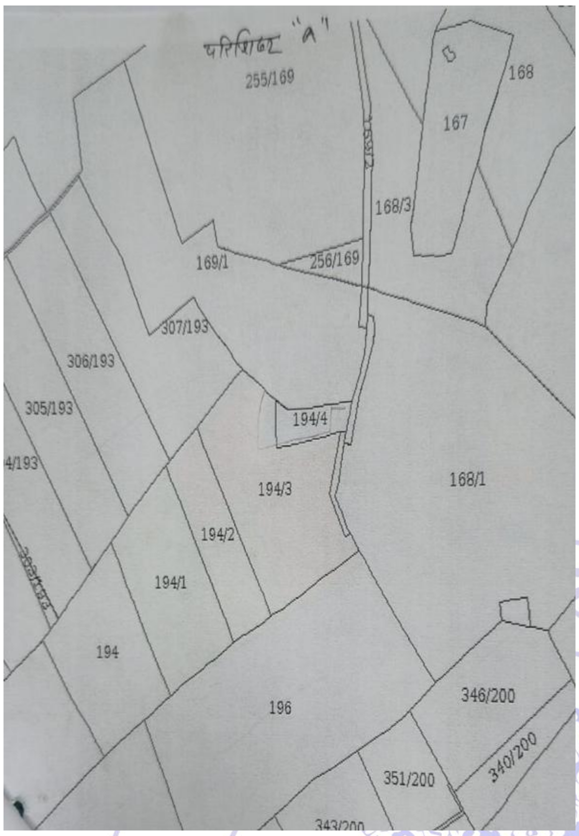

प्रस्तावित परिशिष्ट 'बी'

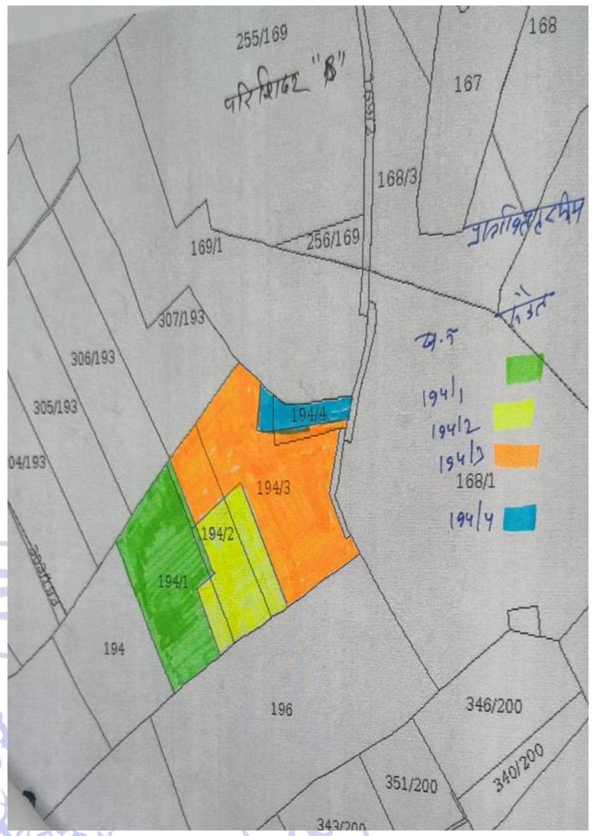

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–बी के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी पत्रांक/भू.अ./2026/2020 दिनांक 31.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त रिपोर्ट पर पक्षकारों के मध्य सहमति प्रदान की गई है। उक्त तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/2020 दिनांक 31.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

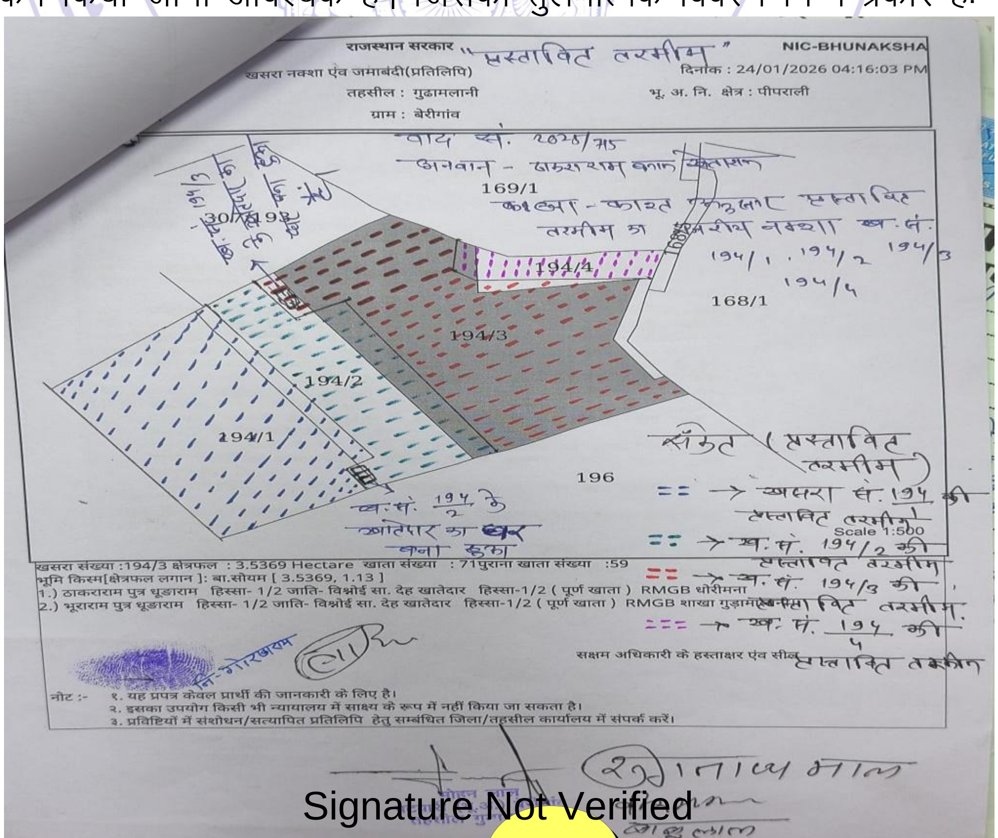

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:34 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/2020 दिनांक 31.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–
    1. कि वर्तमान में खसरा संख्या 194/3/3.5369 है0, 194/2/1.3193 है0, 194/4/0.3318 है0, 194/1/2.6385 है0 की जमाबंदी व भू–नक्शा व कब्जे में अंकित रकबा गलत पाया गया।
    2. वर्तमान खसरा संख्या 194/3/3.5369 है0, 194/2/1.3193 है0, 194/4/0.3318 है0, 194/1/2.6385 है0 की वर्तमान तरमीम को मौका कब्जा काश्त अनुसार संलग्न बरंग नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/2020 दिनांक 31.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/2020 दिनांक 31.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/2020 दिनांक 31.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/2020 दिनांक 31.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:34 IST
Reason: SelfAttested